PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

जिलाधिकारी ,कानपुर देहात के आदेश दिनांक 30.8.97 के द्वारा उ.प्र. स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन § नियमावली 1997 के यथासंशोधित नियम-4 §1§ के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की तहसील व परगना भोगनीपुर के लिये भूमि के मूल्यांकन गैर वाणिज्यक भवन के निर्माण मूल्य के लिये न्यूनतम दरें और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:-

तहसील भोगनीपुर,जनपद कानपुर देहात

क्रमांक	किस्म जमीन	निर्धारित रेट प्रति एकड़
1-	सिंचित	90,000=00
2-	असिंचित	80,000=00

नोट:-

§1§ तहसील के लिंक मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 15 प्रतिशत अधिक होगी। तथा जनपदीय मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 25 प्रतिशत अधिक होगी एवं तहसील के राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दरें निर्धारित रेट से 50 प्रतिशत अधिक होगीं ।

§2§ 5 §पांच§ बिस्वा तक कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर 50=00 रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से स्टाम्प अदा किया जायेगा ।

§3§ औद्योगिक /व्यवसायिक प्रयोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि 3,00,000=00 रू0 प्रतिबीघा की दर से स्टाम्प अदा किया जायेगा ।

§4§ नगरपालिका परिषद,पुखरांया में पड़ने वाली भूमि जो कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी जायेगी उसका रेट 1,40,000=00 रूपया प्रति बीघा तथा नगर पंचायत अमरौधा तथा सिकंदरा में पड़ने वाली कृषि भूमि का रेट 80,000=00 रूपया प्रतिबीघा होगा।

आवासीय दर

§1§ पुखरांया लखनऊ झांसी मार्ग पर स्थित मुहल्लों का रेट राजेन्द्रनगर,सुभाषनगर,गांधीनगर,जवाहरनगर,किदवईनगर, तथा मीरपुर एवं अहरौली शेख स्थित गायत्रीनगर का रेट 1,000=00 रूपया प्रति वर्गमीटर होगा ।

§2§ पुखरांया वाई पास एवं मण्डी समिति पुखरांया एवं शेष आबादी का रेट-750=00रू. प्रतिवर्गमीटर होगा ।

§3§ भोगनीपुर चौराहा की सड़कों के किनारे स्थित प्लाट का रेट 1,200=00 रू0 प्रतिवर्गमीटर तथा अंदर आबादी 750=00रू. प्रतिवर्गमीटर होगा ।

§4§ अहरौली शेख,राजपुर,पैलावर ,पातेपुर,गौरीगंज ,फत्तेपुर ,मूसानगर,सिकंदरा,अमरौधा में 650=00 रूपया प्रतिवर्गमीटर होगा ।

§5§ परेहरापुर,ख्वाजाफूल,शाहजहांपुर,बरौर,कांधी,गौर,हलधरपुर,रसधान,डीग ,बढौली, बिरोहा,में 500=00 रूपया प्रति वर्गमीटर होगा ।

§6§ शेष ग्राम तहसील में 200=00 रूपया प्रतिवर्ग मीटर होगा ।

.......2.......

PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

§7§ नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत /शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र के पूर्णतया आवासीय पक्के भवनों के निर्माण के अच्छादित भाग का मूल्य प्रतिवर्गमीटर 3,000=00रू0हो।

§8§ गैर आवासीय अथवा अर्द्धआवासीय अर्थात ऐसे भवन जो पूर्णतया आवासीय नहीं है शहरी क्षेत्र अथवा अर्द्धशहरी क्षेत्र के लिये निम्नतम किराया 20=00 रू. प्रतिवर्गमीटर होगा , एवं ग्रामीण क्षेत्र का 10=00रू. प्रतिवर्गमीटर होगा ।

उक्त दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें है किन्तु यदि किसी क्षेत्र विशेष में बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से अधिक है तो तद्नुसार उच्चतर बाजार दर पर ही निबंधन किया जायेगा। समस्त उपनिबंधक तद्नुसार ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये उच्चतर दरें ही लेगें ,यदि उक्त सम्बंध में बाजार दर से कम कीमत पर निबंधन किया जाता है तो तद्नुसार दायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

§जे0पी0सिंह§
अपर जिलाधिकारी§वि0/रा0§
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 लखनऊ ।
2- महानिरीक्षक,निबंधन, उ0प्र0इलाहाबाद।
3- अपर सचिव,राजस्व परिषद, उ0प्र0इलाहाबाद ।
4- जिला निबंधक,कानपुर देहात
5- ए0आई0जी0§स्टाम्प§ कानपुर देहात ।
6- परगनाधिकारी/तहसीलदार भोगनीपुर ।
7- उपनिबंधक भोगनीपुर ।

§जे0पी0सिंह§
अपर जिलाधिकारी§वि0/रा0§
कानपुर देहात।

PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

जिलाधिकारी, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 20.03.2002 के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प, (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के यथा संशोधित नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की तहसील व परगना भोगनीपुर के लिए भूमि के द्विवार्षिक मूल्यांकन तथा गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिए न्यूनतम दरें और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं, जो दिनांक 01.04.2002 से प्रभावी होंगी तथा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी :-

तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

क्र0सं0 सामान्य ग्राम	किस्म जमीन	निर्धारित रेट प्रति एकड़
(अ)	सिंचित	1,20,000.00
(ब)	असिंचित	1,00,000.00

2 विशिष्ट ग्राम

सवाईखेड़ा, गिरधरपुर, महकापुर, चकजलाल, जहांगीरपुर, गौरीरज्जन, नोनापुर, पिपरी, प्रेमपुर, बहेरीगांव, मदनपुर, मांचा, रसूलपुर, रूरगांव, रेगवा, लगड़े का पुरवा, सराय, सिखमापुर, सुजगवां, शेखपुर, हरहरा, परेहरापुर, हरदुआ ऐंमा, बढ़ौली, गौर, सट्टी, बिरोहा, हलधरपुर, शाहजहांपुर, मूसानगर, पातेपुर, बुधेड़ा, भोगनीपुर, अहरौली शेख गोसगंज, फत्तेपुर, मीरपुर, हांसेमऊ, छौनी, मोहम्मदपुर, डीघ, शेष पुखराया -

सिंचित	1,40,000.00 प्रति एकड़
असिंचित	1,10,000.00 प्रति एकड़

3 गैर आबाद ग्राम

अहरौली घाट - कटरी, क्योटरा - कटरी, खरतला - कटरी डिलौलिया कछार, देवराहट - कटरी, नगवाकछार, नगीना - ब्रम्हरौली घाट - कटरी, मूसानगर कछार, रसूलपुर भलार - कटरी ।

95,000.00 रूपया प्रति एकड़

4. औद्योगिक भूमि की दर रूपया 6,92,000/- प्रति एकड़ होगी ।

5. नगर पालिका पुखरायां में स्थित कृषि भूमि की दर रूपया 3,95,000.00 प्रति एकड़ एवं नगर पंचायत अमरौधा में स्थित कृषि भूमि की दर रूपया 2,55,000.00 प्रति एकड़ होगी ।

क्रमशः 2 पर

PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

आवासीय

1– पुखरायां लखनऊ झांसी मार्ग पर स्थित राजेन्द्र नगर, सुभाष नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, जवाहर नगर, किदवई नगर, मीरपुर, गायत्री नगर व इन्दिरा नगर स्थित मुहल्लों का रेट रूपया 1,100.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

2– कालपी रोड पुराना पर स्थित राम स्वरूप ग्रामोद्योग इण्टर कालेज से मिश्रा पेट्रोल पम्प तक सड़क के दोनों ओर 25 मीटर तक की आवासीय भूमि की दरें रूपया 1,500.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

3– पुखरायां बाई पास एवं मण्डी समिति पुखरायां तथा शेष पुखराया का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

4– अहरौली शेखबाई पास से पूरब की ओर स्थित प्लाटों का रेट रूपया 1,050.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

5– अहरौली शेखबाईपास से पश्चिम की ओर स्थित प्लाटों का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

6– पुखराया रोडवेज चेकपोस्ट से भोगनीपुर पेट्रोल पम्प तक व भोगनीपुर क्रासिंग से भोगनीपुर पुरानी सड़क के जोड़ तक सड़क के दोनों ओर 50 मीटर तक स्थिति प्लाटों का रेट रूपया 1,450.00 प्रति वर्ग मीटर होगा तथा सड़क से अन्यथा प्लाटों का रेट रूपया 850.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

7– गौसगंज, फत्तेपुर, मूसानगर, अमरौधा, बुधेड़ा भोगनीपुर व पातेपुर में आवासीय भूमि की दरें रूपया 750.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।

8– परेहरापुर, शाहजहांपुर, बरौर, गौर, हल्दरपुर, डीघ, छतेनी, बढ़ौली, विरोहा, मुहम्मदपुर, नथुआपुर, बलहरामऊ, विहार की आवासीय भूमि की दरें रूपया 600.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

9– तहसील के शेष अन्य ग्रामों में आवासीय भूमि की दरें रूपया 230.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।

10– नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत एवं अर्ध–शहरी क्षेत्र के पूर्णतया आवासीय भवनों के निर्माण की दरें रूपया 3,500.00 प्रति वर्ग मीटर एवं तहसील के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की निर्माण की दरें रूपया 2,500.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी ।

क्रमशः 3 पर

PARIHAR ASSOCIATES
Valuation Company 09415478258

11– गैर आवासीय भवनों में शहरी क्षेत्र अथवा अर्ध–शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम किराया रूपया 25.00 प्रति वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों का किराया रूपया 15.00 प्रति वर्ग मीटर होगा ।

उक्त दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें हैं, किन्तु यदि किसी क्षेत्र विशेष में बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक है, तो तद्नुसार उच्चतर बाजारू दर पर ही निबन्धन किया जायेगा। उप–निबन्धक तद्नुसार ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उच्चतर दरें ही लेंगे । यदि उक्त सम्बन्ध में बाजार दर से कम कीमत पर निबन्धन किया जाता है, तो तद्नुसार दायित्व निर्धारित किया जावेगा ।

(एन.एस.पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
कानपुर देहात ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उ0प्र0 शासन, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5, लखनऊ।
2. स्टाम्प आयुक्त/महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. जिला निबन्धक, कानपुर देहात ।
5. सहायक स्टाम्प आयुक्त/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात ।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, भोगनीपुर।
7. उप–निबन्धक, भोगनीपुर।

(एन.एस.पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
कानपुर देहात ।

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात